

2
~~2022~~

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थी
अनु०। प्रार्थी द्वारा पेश नोटिस
अभी तक जारी नहीं हुए हैं।
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट
हुआ कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातदार
भूमि ख. न. 999 वाले ग्राम
नीमका पडा तह० सेंथल तक



अधिकार जो इस
दस्तावेज की प्राप्ति
से जारी हुए

पहुँचने हेतु खसरा नं. 739 (ब) 2.32 है जिस चारागाह से रास्ता चाला गया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कारतकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत कोई खातेदार दूसरे खातेदार की खातेदारी भूमि से ली रास्ते की मांग कर सकता है ना कि सार्वजनिक भूमि से। अतः प्राची चण्डि प्राची द्वारा राजकीय चारागाह भूमि से रास्ता चाला गया है, जो धारा 251 'A' के तहत पोखरीय नहीं है। अतः प्राची का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरवल सुमार लेफ्टर नंबर से कम है।

5

उप खण्ड अधिकारी
दस्तावेज (राज.)